# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

**पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**

अनुवान छगनलाल बनाम राजस्थान सरकार आदि

वाद संख्या 79 वर्ष 2025

**निर्णय दिनांक :–01.09.2025**

छगनलाल पुत्र हुक्माराम, जाति मोची, निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. शाखा प्रबन्धक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरूं
3. केशराराम पुत्र नोपाराम, निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

1. श्री साजिद खान, एडवोकेट वास्ते वादी
2. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार तारानगर।
3. श्री अमित चारण, एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 3।

–:निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि रोही कस्बा तारानगर के खसरा नंबर 868/423 तादीदी 3.7935 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है।यही विवादित कृषि भूमि है। उक्त विवादित भूमि का भू नक्शा पोर्टल पर जो नक्शा बना हुआ है वो नक्शा सही नहीं है एवं तरमीम भी गलत है। मोमिया ट्रेस नशे के मुताबिक वादी के दर्ज भूमि की तरमीम सही है इसलिए वादी के द्वारा राजस्व विभाग के पास मौजूद मोमिया ट्रेस नक्शे के अनुसार सही तरमीम करवाने के लिए वादी द्वारा वाद पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि तहसीलदार तारानगर है से निवेदन किया गया कि विवादित भूमि की तरमीम मुताबिक मोमिया ट्रेस नक्शे के अनुसार डिजिटल भू–नक्शा ऐप पर तरमीम दुरस्त कर देवे जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी की तरमीम दुरूस्त होने पर किसी प्रकार का राज्य हित प्रभावित नही होगा। लेकिन दिनांक 05.04.2025 को ऐसा करने से इन्कार हो गये। यही वाद कारण तारीख है। अंत में वादी द्वारा निवेदन किया गया की रोही ग्राम कस्बा तारानगर के खसरा नंबर

868/423 तादादी 3.7935 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड की डिजिटल भू–नक्शा ऐप पर मुताबिक मोमिया ट्रेस नक्शे के अनुसार तरमीम संशोधित की जावे। वगैरह वगैरह।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया व तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसी दौरान उक्त भूमि के पड़ोसी खसरा नंबर 977/423 के खातेदार श्री केशराराम पुत्र नोपाराम द्वारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विधिनुसार सुनाई करते हुए प्रार्थी केशराराम को बतौर प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज द्वारा राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया गया व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा पेश नही किया जाना जाहिर किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में वितिय संस्थान बैंक को पक्षकार बनाया गया है जिनके हक तरमीम शुद्धी के कारण प्रभावित नही होने है एवं बैंक का हित सुरक्षित रखे जाने पर वादी सहमत है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही किये जाने के कारण वाद पत्र का कोई खण्डन पेश नही होना पाया गया, इसलिए तनकी कायम नही की गई।

वकील वादी द्वारा वादी छगनलाल के साक्ष्य कराये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया गया। साक्ष्य बन्द किये जाकर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी द्वारा एक शपथ पत्र मय Annexure A नक्शे के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी की भूमि की तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शा में Annexure A नक्शे के अुनसार करवाने हेतु वादी सहमत है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया कि प्रतिवादी की भूमि के राजस्व नक्शे की तरमीम वादी द्वारा प्रस्तुत Annexure A नक्शे के अनुसार की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 3 को कोई एतराज नही है। वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि विवादित भूमि खसरा नंबर 868/423 व 977/423 की भूमि के खसरे एक दुसरे के चिपते हुए है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 सालों से वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार ही अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेते आ रह है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के खेतों की सालों से पुख्ता सींव बनी हुई है उसके अनुसार ही हम दोनो पक्षकार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है। यदि हम दोनो पक्षकारान की खातेदारी कृषि भूमि का Annexure A नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड डिजिटल भू–नक्शा ऐप पर तरमीम किये जाने से दोनो पक्षकार सहमत है एंव दोनो पक्षकारान की भूमि का रकबा भी पूर्ण हो जायेगा। इस प्रकार से तरमीम शुद्ध किये जाने पर किसी

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajender

अन्य खातेदारान के हित भी प्रभावित नही होगें तथा ना ही किसी को नुकसान होगा।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादी व प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 868/423 व 977/423 रोही ग्राम तारानगर की भूमि है एवं एक दूसरे के लगती हुई भूमि है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत Annexure A के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत Annexure A के अनुसार तरमीम शुद्ध करने पर इसका अन्य किसी खातेदार की भूमि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना है एवं उभय पक्षकारान तरमीम शुद्ध कराने के लिए सहमत है। इसके साथ तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व/2025/740 दिनांक 02.06.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का कब्जा Annexure A नक्शे के अनुसार ही दर्शाया जाकर उसी अनुसार ही तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। चुंकि उभय पक्षकारान वर्तमान काबिज स्थिति के अनुसार तरमीम करवाने हेतु सहमत है तथा राजस्व विभाग तहसीलदार तारानगर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में मौके पर काबिज अनुसार ही तरमीम शुद्ध करना उचित बताया है।

## —:: आदेश ::—

अतः वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 3 का इकबालदावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही ग्राम कस्बा तारानगर के खसरा नंबर 868/423 व 977/423 की तरमीम Annexure A नक्शे के अनुसार की जावे है। Annexure A नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

# डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code,Appendix 'D')

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर**

**पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**

अनुवान छगनलाल **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट व सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट**

वाद संख्या 79 वर्ष **2025**

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी **श्री साजिद खान एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व श्री अमित चारण मिनजानिब मुदायलाह व **राजपैरोकार** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः वादी का वाद व प्रतिवादी सं. 03 का इकबालदावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही ग्राम कस्बा तारानगर के खसरा नं. 868/423 व 977/423 की तरमीम ANNEXURE A नक्शे के अनुसार की जावे है। ANNEXURE A नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। .................................................................................................... बीज ........................ मुबलिग ............................ बाबत ......................... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ................................ फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ............................ को अदा करें। मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 09 सन 2025 को जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

| मुदई | रूपया | | पै. | मुदायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरर्जीदावा | | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | | |
| मिजान | | | | मिजान | | |

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)